"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2011—फाल्गुन 25, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-19/18/2011.—राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नगर पालिका भाटापारा में नगरीय निकाय के सफाई कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 28-02-2011 से की जा रही हड़ताल के कारण नगर पालिका भाटापारा में अत्यावश्यक सेवा का संपादन बंद हो गया है और पालिका क्षेत्र के भीतर नागरिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर या ऐसी सेवाओं के संधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा नगर में आकस्मिक आवश्यकता विद्यमान हो गई है.

उपरोक्त स्थिति में नगर पालिका भाटापारा में अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखा जाना आवश्यक होने के कारण छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 99बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नगर पालिका भाटापारा में तत्काल प्रभाव से अत्यावश्यक सेवा घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक एफ 4-19/18/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-19/18/2011 दिनांक 15-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 15th March 2011

NOTIFICATION

No. F 4-19/18/2011.—State Government has been confirmed that the Sanitation employees of Bhatapara Municipality has gone under strike from 28-02-2011, resulting damages to the basic services and has badly effected the security and health services to citizens of Bhatapara Municipality area and hence casual situation has developed in the limits of Municipal area.

Therefore power conferred under section 99B of Chhattisgarh Nagar Palika Adhiniyam 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby declares essential service to the sanitationwork, in the limits of Municipal Council Bhatapara with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.